

उच्च शिक्षा

अध्याय-6

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण।

(₹ लाख में)

	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
राज्य सैक्टर योजनाएँ								
अनुदान सं०-11 (राजस्व पक्ष)								
1	राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद	महावि० में रूसा के अन्तर्गत नये मॉडल महाविद्यालयों की स्थापना/उच्चीकरण/शोध अन्वेषण तथा शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु।	60.00	0	रूसा परियोजना कार्यालय का संचालन।	एक वर्ष	कार्यालय के संचालन के व्ययों का भुगतान।	एक वर्ष
2	निर्देशन तथा प्रशासन	विभाग में मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था/विभिन्न कार्यों हेतु निति निर्धारण/पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना तथा आय-व्ययक तैयार कर शासन को प्रस्तुत करना।	416.09	0	100 शासकीय, 18 अशासकीय एवं 20 अनानुदानित महाविद्यालयों का अनुश्रवण।	एक वर्ष	महाविद्यालयों हेतु नीति निर्धारण, निरीक्षण	एक वर्ष
3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों के सुदृढीकरण हेतु अनुदान	1500	0	शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु।	एक वर्ष	राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।	एक वर्ष
4	राजकीय उपाधि का महाविद्यालयों का संचालन	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	12011.26	0	संचालित महाविद्यालय 34 कार्यरत कार्मिक 1688	एक वर्ष	छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था।	एक वर्ष

5	राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण।	संचालित महाविद्यालयों में संकायों विषयों/पदों का सृजन।	2763.57	0	संचालित महाविद्यालय कार्यरत कार्मिक 30 270	एक वर्ष	शिक्षक/गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों का सृजन कराया जाना एवं स्नातक महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर में उच्चीकरण।	एक वर्ष
6	यू0जी0सी0 मैचिंग शैयर	यू0जी0सी0 द्वारा महाविद्यालयों को निर्माण कार्य हेतु 40 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।	70.00	0	01 छात्रावास निर्माणाधीन (60 कमरो का)।	एक वर्ष	निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा।	एक वर्ष
7	नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना योजना	राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	4899.59	0	नवस्थापित महाविद्यालय कार्यरत कार्मिक 65 770	एक वर्ष	छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान की व्यवस्था।	एक वर्ष
8	एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में चयनित छात्र- छात्राओं को पुरस्कार।	उत्तराखण्ड के मेधावी छात्र-छात्राओं का चयन एन0डी0ए0 तथा आई0एम0ए0 में होने की दशा में पुरस्कार की योजना।	70.00	0	एन0डी0ए0 आई0एम0ए0 में चयनित अभ्यर्थी को पुरस्कार राशि (200 अभ्यर्थिया हेतु रू0 50,000/- प्रति अभ्यर्थी)।	एक वर्ष	चयनित अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।	एक वर्ष
9	विश्वविद्यालयों के कैम्पसों का आधुनिकीकरण जैसे वाई-फाई इत्यादि	विद्यार्थी डिजिटीलईजेशन से लाभान्वित होंगे।	50.00	0	उत्तराखण्ड के 05 राज्य विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा हेतु।	एक वर्ष	योजना से लगभग 5000 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगी।	एक वर्ष
10	महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की स्तर तक सुदृढीकरण	यू0जी0सी0 से अनुदान प्राप्त किये जाने हेतु महाविद्यालय को नैक प्रत्यायन के स्तर तक सुदृढीकरण हेतु।	100.00	0	32 राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार।	एक वर्ष	32 महाविद्यालय नैक प्रत्यायन स्तर को प्राप्त कर सकेंगे।	एक वर्ष
11	अशासकीय महाविद्यालयों को वेतनादि के लिए अनुदान	अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	6150.00	0	अनुदानित संचालित महाविद्यालय कार्यरत कार्मिक 17 760	एक वर्ष	छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ तथा वेतन भुगतान की व्यवस्था।	एक वर्ष

12	अनुसंधान सुविधाओं हेतु विकास शोध छात्रों को छात्रवृत्ति।	शोध कार्य हेतु छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन	1.50	0	20 जर्नल्स, 25 उपकरण इत्यादि क्रय किये जाने हेतु।	एक वर्ष	विकास शोध छात्रों को छात्रवृत्ति।	एक वर्ष
13	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की योजना	—	0.01	0	—	एक वर्ष	—	एक वर्ष
14	इंजी0/मेडिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना	—	0.01	0	—	एक वर्ष	—	एक वर्ष
15	निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति	उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु।	20.00	0	200 निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जा जायेंगी।	एक वर्ष	उत्तराखण्ड के 200 निर्धन विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	एक वर्ष
16	प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों आदि में भाग लेने हेतु अनुदान।	प्राध्यापकों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि कराये जाने हेतु।	1.00	0	शिक्षकों के बौद्धिक स्तर में वृद्धि हेतु 05 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सेमीनारों में भाग लेने हेतु।	एक वर्ष	विदेशों में सेमीनारों में भाग लेने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेंगा।	एक वर्ष
17	वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्राओं को छात्रावास की सुविधा।	वनस्थली विद्यापीठ में छात्रावास का रखरखाव हेतु।	2.00	0	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्मित छात्रावास का रखरखाव (248 छात्राओं हेतु)।	एक वर्ष	उत्तराखण्ड के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	एक वर्ष
18	एम0बी0ए0 आदि पाठयक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु गठित समितियों के मानदेय आदि का भुगतान	—	0.02	0	—	एक वर्ष	—	एक वर्ष
19	इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत् बी0पी0एल0 विद्यार्थियों हेतु लैपटाप वितरण।	प्रदेश के राज0महावि0 में अध्ययनरत् बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण योजना।	50.00	0	बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को 500 लैपटाप वितरण हेतु।	एक वर्ष	योग्यता/कार्यक्षमता में उन्नयन।	एक वर्ष

20	प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यवसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति	शुल्क नियामक समिति के सदस्यों के मानदेय/शुल्क नियामक समिति के कार्यालय के व्ययों हेतु।	102.20	0	251 अनानुदानित निजी स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण हेतु।	एक वर्ष	शुल्क समिति के बैठकों व अन्य व्यय की व्यवस्था हेतु।	एक वर्ष
21	तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा	तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा हेतु।	6.00		प्रथम चरण में 10 महाविद्यालय लाभान्वित।	एक वर्ष	10 महाविद्यालय तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा से आच्छादित हो सकेंगे।	एक वर्ष
22	संगीत के ख्याति प्राप्त कालाकारों द्वारा वर्कशाप का आयोजन	—	5.00	0	कलाकारों के वर्कशाप के आयोजन हेतु।	एक वर्ष	वर्कशाप आयोजन पर व्यय किया जायेगा।	एक वर्ष
23	स्नातकोत्तर/पीएच0डी0 हेतु निर्धन छात्रों को सहायता	स्नातकोत्तर / पीएच0डी0 के छात्रों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु।	20.00		29 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थी लाभान्वित।	एक वर्ष	निर्धन विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।	एक वर्ष
24	भारतीय भाषा विकास।	विभिन्न भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार।	3.00	0	15 भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था पर व्यय किया जायेगा।	एक वर्ष	विभिन्न भाषाओं का प्रचार प्रसार।	एक वर्ष
अनुदान सं0-11 का योग:-			28301.25	0.00				

अनुदान सं0- 30 (राजस्व पक्ष)								
25	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	महाविद्यालयों में ई-लर्निंग के माध्यम से शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री और शिक्षण उपलब्ध कराना।	350.00	0	ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग।	एक वर्ष	महाविद्यालयों को एल0सी0डी0 /फोटो कापियर/कम्प्यूटर आदि यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।	एक वर्ष

26	प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण योजना।	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रशिक्षण की योजना।	40.00	0	प्रदेश के 13 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था, जिससे प्रदेश के 8138 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।	एक वर्ष	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं लाभान्वित किया जायेगा।	एक वर्ष
27	इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप वितरण।	प्रदेश के राज0महावि0 में अध्ययनरत बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण योजना।	10.00	0	बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को 500 लैपटाप वितरण हेतु।	एक वर्ष	मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण किया जायेगा।	एक वर्ष
अनुदान सं0-30 का योग:-			400.00	0.00				
अनुदान सं0- 31 (राजस्व पक्ष)								
28	अनुसूचित जनजाति उपयोजना। (03-महावि0 का सुदढ़ीकरण) टी0एस0पी0	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधाएं एवं पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की योजना।	9.90	0	जनजाति क्षेत्र के 07 महाविद्यालय संचालित।	एक वर्ष	जनजाती छात्र-छात्राओं को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी।	एक वर्ष
29	इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत बी0पी0एल0 विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप वितरण।	प्रदेश के राज0महावि0 में अध्ययनरत बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण योजना।	10.00	0	बी0पी0एल0 विद्यार्थियों को 375 लैपटाप वितरण हेतु।	एक वर्ष	मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को लैपटाप वितरण किया जायेगा।	एक वर्ष
30	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद्।	महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु विषय सामग्री उपलब्ध कराना।	100.00	0	पुस्तकें, जर्नल्स तथा नवीन विषयों और पाठ्यक्रमों की पुस्तकों का क्रय।	एक वर्ष	महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।	एक वर्ष
अनुदान सं0-31 का योग:-			119.90	0.00				
राजस्व पक्ष अनु0 सं0 (11,30,31) का कुल योग:-			28821.15	0.00				

केन्द्रपोषित पूँजीगत पक्ष								
31	रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान	शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण।	0	1600.01	45 निर्माण कार्य प्रारम्भ— 03 विश्वविद्यालय 42 शासकीय महाविद्यालय	दो वर्ष	45 निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ।	दो वर्ष
केन्द्र पोषित पूँजीगत पक्ष का योग:—			0.00	1600.01				

अनुदान सं०-11 (पूँजीगत पक्ष)								
32	कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के भवनों को पूर्ण किया जाना।	महाविद्यालयों में चालू निर्माण एवं नये निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की योजना	0	600.00	चालू निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	एक वर्ष	26 निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।	एक वर्ष
33	राजकीय महाविद्यालयों के भूमि क्रय / भवन निर्माण।	महाविद्यालयों में चालू निर्माण एवं नये निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की योजना	0	100.00	निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना।	एक वर्ष	18 निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।	एक वर्ष
34	उच्च शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण।	—	0	0.01	निर्माण कार्य पूर्ण।	एक वर्ष	उच्च शिक्षा निदेशालय स्वयं के भवन में संचालित।	एक वर्ष
35	शिक्षण कक्ष एवं प्रयोगशाला भवन निर्माण	नये शिक्षण एवं प्रयोगशाला निर्माण हेतु।	0	20.00	निर्माण कार्य।	एक वर्ष	शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेंगा।	एक वर्ष
36	आदर्श महाविद्यालयों में भवन निर्माण	आदर्श महाविद्यालयों में चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना।	0	0.01	—	एक वर्ष	—	एक वर्ष
37	स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम।	स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु भवन निर्माण।	0	0.01	राज० महावि० लम्बगॉव में भवन निर्माण।	एक वर्ष	भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेंगा।	एक वर्ष

38	मल्टीपरपज हॉल निर्माण योजना।	राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्र नगर एवं बाजपुर में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया जाना।	0	100.00	02 निर्माण कार्य संचलित।	एक वर्ष	संचालित निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेंगा।	एक वर्ष
अनुदान सं०-11 पूँजीगत पक्ष का योग:-			0	820.03				
अनुदान सं०-30 (पूँजीगत पक्ष)								
39	चुड़ियाला हरिद्वारा में महाविद्यालय की स्थापना / भवन निर्माण	अनुसूचित जाति क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाल हरिद्वार का भवन निर्माण।	0	100.00	महाविद्यालय भवन निर्माण।	एक वर्ष	अनुसूचित जाति क्षेत्र में नया निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेंगा।	एक वर्ष
अनुदान सं०-30 पूँजीगत पक्ष का योग:-			0	100.00				

अनुदान सं०-31 (पूँजीगत पक्ष)								
40	जनजाति क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण	जनजाति क्षेत्रों में छात्रावास निर्माण हेतु।	0	100.00	चाहरदीवारी एवं मुख्य गेट का निर्माण।	एक वर्ष	संचालित चाहरदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेंगा।	एक वर्ष
अनुदान सं०-31 पूँजीगत पक्ष का योग:-			0	100.00				
कुल योग (राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष)			28821.15	2620.04				